उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विविध अपील (सी) संख्या 482/2006

युगल पीठ

कोरम : **माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश एवं**

माननीय न्यायाधीश श्री.वी. के. श्रीवास्तव,

अपीलार्थी : दावेदार : राजीव भुषन अग्निहोत्री पिता श्री कृष्णा नंद अग्निहोत्री, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी –मकान नम्बर 16, जलाशय मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ0ग0)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यार्थीगणः

1 अनमोल सामरे, पिता लक्ष्मीकांत सामरे, निवासी सिविल लाईन चंद्रपुर, जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) वाहन स्वामी

2 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डिवीजन नं. 10, फ्लैट नं. 101–106, एन –1, बी.एम.सी. हाउस कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110 001

3 प्रबंधक, रायल सुन्दरम एलायंस इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, प्रथम तल यवला काम्प्लेक्स, यू.टी.आई. बैंक के सामने, बस स्टैण्ड पंडरी रायपुर के पास जिला रायपुर (छ0ग0)

उपस्थित : श्री जितेन्द्र गुप्ता, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यार्थीगण के लिए कोई नही

(मौखिक आदेश)

(20 दिसम्बर, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, राजनांदगांव (इसके बाद से न्यायाधिकरण) ने एम.ए. सी.टी. मामले क्रमांक 73/2006 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 21.09.2006 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में रूपये 4,17,500/– का प्रतिकर अधिनिर्णित किया गया।

2) दिनांक 11.09.2004 को अपीलार्थी अपने मित्र सत्यजीत पाठक के साथ वाहन क्रमांक सी.जी. –05ए/8500 से नागपुर जा रहा था। अपीलार्थी अनुज्ञप्ति धारक था और वह वाहन चला रहा था। जब वे मोड़ के पास पहुंचे, तो विपरीत दिशा से आ रही वाहन क्रमांक एमएच–34 के/ 2876 ने उपेक्षा और उतावलेपन से चला रही था ने अपीलार्थी के वाहन को टक्कर मार दी। जिससे अपीलार्थी का वाहन पलट गया और पुलिया मे फंस गया। अपीलार्थी के दाहिने पैर, घुटने जांघ और बाये हाथ पर कोहनी और कंधे के बीच मे चोटे आई। उसके सिर एवं छाती पर भी चोटे आई। उसे शासकीय अस्पताल राजनांदगांव ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जे.एल.एन. अस्पताल एवं अनुसंधान केंन्द्र, भिलाई रिफर कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) उन्हे ईलाज के लिए जे.एल.एन. अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भिलाई में भर्ती कराया गया और दिनांक 15.09.2004 को उसे छुट्टी दे दी गई। आगे के ईलाज के लिए अपीलार्थी ने चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिया और दिल्ली गए और दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में ईलाज कराया। इसके बाद वे रायपुर वापस आए और खेमका अस्पताल, रायपुर में ईलाज जारी रखा। उन्होंने विभिन्न मदों मे कुल रूपये 16,18,120/– के प्रतिकर की गणना की और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन के स्वामी और उसके बीमाकर्ता के साथ–साथ अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए गए वाहन के बीमाकर्ता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद अधिनियम, 1988) की

धारा 166 के तहत अपना दावा आवेदन पेश किया। वह वाहन जिससे दुर्घटना कारित हुई के स्वामी प्रतिवादी कमांक 1, एकपक्षीय रहा। दोनो बीमा कंपनियों ने अपीलार्थी के दावे का विरोध किया।

4) अपीलार्थी ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। विद्वान न्यायाधिकरण ने साक्ष्य पर विचार किया और दावे पर निम्नानुसार निर्णय दिया

कं. सं.	मद	राशि
1.	चिकित्सा व्यय	2,87,500–00
2.	आय की हानि	30,000=00
3.	एक पैर और एक हाथ में 20 प्रतिशत स्थायी विकलांगता	50,000=00
4.	शारीरिक और मानसिक कष्ट	15,000–00
5.	विशेष आहार और परिचर्या	10000=00

कुल :– 4,17,500=00

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने चिकित्सा व्यय के लिए रू. 2,69,170/– स्वीकार किया है, जबकि 2,87,500/– रूपये प्रमाणित हुए थे। यह एक गलत बयान है। अधिनिर्णय से यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने 2,87,500/– रूपये के चिकित्सा व्यय को प्रमाणित पाते हुए उक्त राशि को स्वीकार किया। न्यायाधिकरण ने प्रदर्श पी/52 के द्वारा दावा किए गए 13,650/– रूपये को

इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रदर्श पी/52 में उल्लेखित वस्तु को रोगी द्वारा उपयोग किए जाने को प्रमाणित नही किया गया हैं हमने प्रदर्श पी/48 और प्रदर्श पी/52 का अवलोकन किया हैं प्रदर्श पी/48 के अनुसार डेप्यु, यूके, एसीई (टाइट) टिबियल इंटरलांकिंग नेल सिस्टम का एक सेट खरीदा गया है और जब अस्पताल ने उस सेट को रोगी पर लगाया तो उसने बिल में एक प्रमाण पत्र दिया है, जबकि फेमोरल इंटरलांकिंग नेल सिस्टम के लिए उसी प्रकार के खरीदी गई है, लेकिन संस्थान ने उसे रोगी को लगाया जाना को प्रमाणित नही किया था और इस बात का समर्थन करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य भी नही है कि उन वस्तुओं को रोगी पर लगाया गया है, इसलिए, अपीलार्थी 13,650/– रूपये की राशि का दावा करने का हकदार नही था और न्यायाधिकरण ने प्रदर्श पी/52 के द्वारा दावा किए गए 13,650/– रूपये को बहुत सही ढंग से अस्वीकार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि आय की हानि का निर्णय देने के लिए न्यायाधिकरण ने उसकी वार्षिक आय 1,00,000/– रूपये पर विचार नही किया, तथा अपीलार्थी की आय 64,000/– रूपये प्रति वर्ष मानते हुए गलत तरीके से 30,000/– रूपये स्वीकार किया। अपीलार्थी ने स्वयं अपना आयकर विवर्णी अर्थात प्रदर्श पी/95 दाखिल किया है तथा अपनी वार्षिक आय 64,000/– रूपये प्रति वर्ष स्वीकार की तथा आय की हानि के लिए 30,000/–रूपये प्रदान किए, हालांकि यह प्रमाणित नही हुआ कि अपीलार्थी किसी पर्याप्त अवधि के लिए काम करने में असमर्थ था। दस्तावेज (प्रदर्श पी/69) से ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिनांक 11.09.2004 से दिनांक 15.09.2004 तक जे.एल.एन. अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भिलाई मे भर्ती था। इस बात को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज नही है कि वह दिल्ली के सर गंगा

राम अस्पताल में कितने दिन भर्ती रहा। वैसे भी, उसके अपने बयान के अनुसार वह 15 दिनों के लिए सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती था। अपीलार्थी को अधिकतम 20 दिनों की आय का नुकसान स्वीकार्य था, लेकिन न्यायाधिकरण ने छह महीने की आय के नुकसान को स्वीकार किया है।

7) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क किया कि अपीलार्थी ने चार्टर्ड विमान किराए पर लिया और ईलाज के लिए दिल्ली गया तथा हवाई यात्रा पर 4,70,000/– रूपये खर्च किए, लेकिन विद्वान न्यायाधिकरण ने केवल 25,000/– रूपये स्वीकार किया। अपीलार्थी को जे.एल.एन. अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, भिलाई द्वारा ईलाज के लिए रिफर नही किया गया था। वह खुद छुट्टी लेकर दिल्ली चला गया। जे.एल.एन. अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, भिलाई के चिकित्सा अधिकारी का परीक्षण से यह स्थापित करने के लिए नही कराया गया कि मरीज को दिल्ली ले जाने की आपात स्थिति थी या यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि मरीज को अन्य केंद्र में बेहतर ईलाज की जरूरत थी। दिल्ली के लिए नियमित उड़ान/ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन दोनो सेवाओं को छोड़कर अपीलार्थी ने विलासिता को पूरा करने के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लेना चुना और विलासिता दुर्घटना दावा का हिस्सा नही है। हालांकि विद्वान न्यायाधिकरण ने उदारता दिखाते हुए हवाई यात्रा के लिए 25,000 रूपये की राशि मंजूर की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) अपीलार्थी के विद्यान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने भविष्य की आय की हानि के लिए प्रतिकर प्रदान नही किया है। विद्वान न्यायाधिकरण ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया और माना कि भविष्य में आय के क्षति की कोई संभावना नही

है, इसलिए, भविष्य की आय के क्षति के लिए कोई अतिरिक्त राशि स्वीकार नही की। हम न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से असहमत नही हो सकते, जिसने उचित विचार–विमर्श के बाद कार्य की प्रकृति को देखते हुए भविष्य की आय की क्षति स्वीकार नही की। अपीलार्थी को शारीरिक चोटे अपीलार्थी की कार्यात्मक क्षमता को कम करने के लिए पर्याप्त नही है, भले ही विद्वान न्यायाधिकरण ने न केवल छह महीने की कमाई के लिए आय की क्षति के लिए 30,000/– रूपये स्वीकार की है, बल्कि उसकी विकलांगता के लिए 15,000/– रूपये भी स्वीकार की है।

9) मानसिक एवं शारीरिक कष्ट, परिचर्या और विशेष आहार के लिए न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत कुल राशि 25,000/– रूपये है, जिसे अनुचित या अपर्याप्त नही कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) इस मामले में न तो जे.एल.एन. अस्पताल अनुसंधान केंद्र, भिलाई के चिकित्सा अधिकारी, जिन्होने अपीलार्थी की जांच की और उसका ईलाज किया, और न ही सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली के किसी व्यक्ति, जिसने अपीलार्थी का ईलाज किया, का परीक्षण कराया गया है। डॉ. ए.ए. सैर्फी आवेदक साक्षी–1 जिन्हे अपीलार्थी ने पेश किया था, ने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 9 (नौ) महीने बीत जाने के बाद दिनांक 17.08.2005 को अपीलार्थी की जांच की थी। उन्होने अपीलार्थी के दाएं पैर और बाएं कंधे में 20 प्रतिशत विकलांगता का आकलन किया। न तो यह दिखाने के लिए कोई चिकित्सा साक्ष्य है कि दिल्ली से लौटने के बाद अपीलार्थी चिकित्सक देखरेख में था और न ही इसे स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य था। उसके स्वयं के साक्ष्य से पता चलता है कि विकलांगता प्रमाण पत्र अर्थात प्रदर्श पी/1 प्राप्त करने के बाद, चिकित्सा

अधिकारी ने उन्हें कोई दवा लेने की सलाह नही दी थी।

11) यद्यपि चिकित्सा साक्ष्य का अभाव था, फिर भी विद्वान न्यायाधिकरण ने, धारण और उपधारण के आधार पर भी अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिकर, दिया। अपीलार्थी को दिया गया प्रतिकर किसी भी तरह की अवैधता या विकृति से ग्रस्त नही है। इसलिए, अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार आरंभ मे ही खारिज किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नही दिया जा रहा हैं

सही /-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
वी.के. श्रीवास्तव न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Purnendra Khichariya